राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर 1121/ओएस/जेजेड/एमपी/विद्याविहार-पिलानी/ दिनांकः 02.01.2025

<u>अधिसूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना प. 10(194)/नविवि/3/2012 दिनांक 12.09.2012 के द्वारा अनुमोदित विद्याविहार-पिलानी के मास्टर प्लान-2031 नगर पालिका विद्याविहार-पिलानी के प्रस्तावानुसार मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र-2031 में दर्शाये गये संशोधन मय विस्तृत रिपोर्ट अनुसार संशोधन प्रस्तावित कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उप धारा (1) के अन्तर्गत आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

विद्याविहार-पिलानी मास्टर प्लान (संशोधित) पर प्रकाशन की तिथि दिनांक 02.01.2025 से 31.01.2025 (30 दिवस) की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था कार्यालय नगर पालिका, विद्याविहार-पिलानी को अपनी आपत्ति/सुझाव प्रेषित कर सकता है। विद्याविहार-पिलानी मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) को उपरोक्त अवधि में कार्यालय नगर पालिका विद्याविहार-पिलानी में देखा जा सकता है।

(नितिन नेहरा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर।